22-7-24 अधिवक्तागण [illegible] उपस्थित। बाद [illegible] Report हेतु दिनांक 02-09-24 को पेश हो।

2-9-24 आज पीठासीन अधिकारी [illegible] पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25/9/24 को पेश हो।

25/9/24 आज पीठासीन अधिकारी [illegible] पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 6/11/24 को पेश हो।

06-11-24 अधिवक्ता वादी [illegible] उपस्थित, [illegible] Report को [illegible] प्रार्थना पत्र [illegible] सुनी गई। प्रार्थना पत्र पर आदेश हेतु दिनांक 21.11.24 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.12.04 17:41:07 IST
Reason: SelfAttested

21.11.24 अधिवक्ता [illegible] वादी [illegible] [illegible] के [illegible] जारी किया गया। प्रार्थना पत्र [illegible] [illegible] प्रार्थना पत्र [illegible] [illegible] की जारी [illegible] की सुनवाई [illegible]

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती स्वाति गुप्ता, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 009 / 2023
अन्तर्गत धारा 5 उपधारा 19(2), 66 राज. काश्तकारी अधिनियम

राम कुमार पुत्र श्री सोहनलाल जाति नाई उम्र 75 वर्ष निवासी– चक 2 ई बड़ी शिवपुर फतुही तहसील व जिला श्रीगंगानगर। .... **वादीगण**

ब ना म

1. बलवीर पुत्र श्री रामप्रताप जाति नाई निवासी– चक 2 ई बड़ी शिवपुर फतुही तहसील व जिला श्रीगंगनगर।
2. कालूराम पुत्र श्री रामप्रताप जाति नाई निवासी– चक 2 ई बड़ी शिवपुर फतुही तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

...प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री विजय चौहान (वादी)

दिनांक 21 नवम्बर, 2024

–: निर्णय :–

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार वादी के नाम से कृषि भूमि चक 2 ई बड़ी में मुरब्बा नं0 12 में किला नं0 2 में 4 बिस्वा व किला नं0 3, 9, 8, 12, 13, 19, 18, 22, 23 है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम चक 2 ई बड़ी के मुरब्बा नं0 12 में किला नं0 4, 7 व 14 है जिसमें मुरब्बा नं0 12 के किला नं0 17 व 24 में घरू तौर पर रास्ता बना रखा है तथा किला नं0 14 में ढाणी बना रखी है। मुरब्बा नं0 12 के किला नं0 21, 22, 23, 24, 25 में हिन्दुमलकोट राड़ से शिवपुर हैड की तरफ पक्की सड़क जाती है। वादी के मुरब्बा नं0 12 के किला नं0 3, 8, 13, 18, 23 के साथ चिपता हुआ किला नं0 4, 7, 14, 17, 24 प्रतिवादीगण का है प्रतिवादीगण द्वारा किला नं0 24 में रास्ता बना रखा है जो आम तौर पर प्रतिवादीगण, वादी की फसल को नुकसान पहुंचाने के आशय से रास्ता खुला रखते है जिससे आवारा पशु आदि सीधे वादी के खेत में आकर फसल नष्ट कर देते है जिससे वादी को हर फसल में हजारों रूपयों का नुकसान होता है। वादी ने प्रतिवादीगण को कई बार कहा कि आपके द्वारा जो रास्ता बना रखा है उससे आवारा पशुओं के आने से वादी की तमाम फसल नष्ट हो जाती है जिससे वादी अपनी पूरी फसल का लाभ नहीं उठा सकता। इसलिए वादी के मुरब्बा नं0 12 के किला नं0 23 के साथ चिपता हुआ किला नं0 24, किला नं0 18 के साथ चिपता हुआ 17, किला नं0 13 के साथ चिपता हुआ किला नं0 14, किला नं0 8 के चिपता हुआ किला नं0 7, किला नं0 3 के साथ चिपता हुआ किला नं0 4 के सीमा से तारबंदी करके वादी अपनी फसल को जो पशुओं द्वारा फसल को नुकसान करते है उसको बचाने के लिये तारबंदी करके अपनी फसल को होने वाले नुकसान से बचा सकता है क्योंकि जमीन के सुधार के लिये [illegible] के लिए तारबंदी किया जाना अति आवश्यक है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को [illegible] बार कहा कि किला नं0 23, 18, 13, 8 और 3 के साथ चिपता हुआ [illegible] पर तारबंदी करना चाहता है लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा तारबंदी [illegible] पैदा करते है तथा लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाते है तथा रूकावट की वजह से वादी को अपनी जमीन का सुधार करने में बाधा उत्पन्न होती है तथा फसल का भी [illegible] नुकसान होता है। पूर्व में वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार श्रीगंगानगर के समक्ष सीमा ज्ञान का प्रस्तुत किया था जिस पर तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का को सीमा ज्ञान के लिए भेजा तो प्रतिवादीगण द्वारा सीमा ज्ञान नहीं करने दिया। प्रतवादीगण द्वारा जान बूझकर वादी को नुकसान पहुंचाने के लिये तारबंदी व सीमा ज्ञान करवाने नहीं दे रहे है क्योंकि कुछ भाग पर वादी की जमीन पर अवैध रूप से जमीन दबा रखी है तथा वादी का जान बूझकर नुकसान करने के उद्देश्य से तारबंदी करने में रूकावट पैदा कर रहा है

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.12.04 17:41:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5 उप धारा 19 (2) के तहत तथा धारा 66 के तहत कोई भी आसामी अपनी जमीन का सुधार करने के लिये तथा उपज बढ़ाने के लिये तथा जमीन की कीमत बढ़ाने के लिए तारबंदी व अन्य साधन जो कृषि की उपज बढानें के लिये है उसे लगाने के लिये आवश्यक है तथा किसी के द्वारा कानून रूकावट पैदा नहीं की जा सकती है। प्रतिवादीगण द्वारा जान बूझकर वादी की जमीन सुधार नहीं करने देते व फसल को खराब करने पर तुले हुए है तथा झगडा आजी करते है तथा प्रतिवादीगण द्वारा जान बूझकर अपने पशु, वादी के खेत में खोल देते है जिससे वादी की फसल को नुकसान होता है वादी द्वारा दो रोज पहले प्रतिवादीगण को कहने गया कि आप लोग मेरी फसल को क्यों खराब कर रहे हो तथा आप अपने खेत की देखभाल करे तथा मैं अपने खेत की तारबंदी करके अपनी फसल का नुकसान बचा सकुं उन्होनें साफ कह दिया कि हम आप को तारबंदी नही करने देगे इसलिए वादी को वाद लाना आवश्यक हो गया है। इसलिए यही बिनाए कारण है। चक 2 ई बड़ी जो तहसील श्रीगंगानगर में है जो जनबवाला के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। वाद अन्दर मियाद है। यह वाद एक रूपये की कोर्ट फीस पर पेश है। लिहाजा वाद पेश करके अर्ज है कि वाद निम्न प्रकार से डिक्री किया जावेः— (क) वादी को मुरब्बा नं0 12 के किला नं0 3, 8, 13, 18, 23 वादी की सीमा में तारबंदी करने में प्रतिवादीगण रूकावट पैदा न करें। (ख) इस अमर की डिक्री जारी की जावे कि वादी को मुरब्बा नं0 12 के किला नं0 3, 8, 13, 18, 23 में तारबंदी करवाने हेतु पुलिस की सहायता प्रदान करवायी जावे। (ग) वादी को प्रतिवादीगण से जो फसल हर वर्ष नुकसान हुआ है उसका खर्चा दिलवाया जावे। (घ) अन्य कोई अनुतोष जो श्रीमान न्यायालय उचित समझे वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

सर्वप्रथम वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 22.03.2024 को प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

अधिवक्ता वादी को सुना गया एवं पत्रावली तहसीलदार (भूअ) श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 28.06.2024 को प्राप्त कब्जा काश्त की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट कब्जा काश्त प्रश्नगत आराजी चक 2 ई बड़ी के खाता संख्या 69 में संयुक्त खाता में कुल रकबा 10.376 हैक्टे0 भूमि में से रामकुमार दत्तक पुत्र सोहनलाल जाति नाई साकिन फतूही के नाम से हिस्सा 1.888 हैक्टे0 राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। खाता संख्या 73 में संयुक्त खाता की कुल 2.278 हैक्टे0 में से रामकुमार पुत्र सोहनलाल जाति नाई साकिन फतूही हिस्सा 0.759 हैक्टे0 राजस्व रिकार्ड दर्ज है। रामकुमार पुत्र सोहनलाल जाति नाई साकिन फतूही द्वारा मुरब्बा नं0 12 के किला नं0 2/0.051, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19 प्रत्येक 0.253 हैक्टे0, 22, 23 प्रत्येक 0.228 मौके पर काश्त की जा रही है। मौके पर उक्त रकबे पर कब्जा काश्त रामकुमार पुत्र सोहनलाल का है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 5 उप धारा 19 (2) तथा धारा 66 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को आदेश दिये जाते हैं कि वादग्रस्त भूमि चक 2 ई बड़ी के मुरब्बा नं0 12 के किला नं0 3, 8, 13, 18, 23 की तारबंदी करवाई जावे तथा मौके पर विवाद की स्थिति में तहसीलदार (राज.) श्रीगंगानगर संबंधित थानाधिकारी की उपस्थिति में आवश्यकतानुसार पुलिस बल नियमानुसार निस्तारण करवाया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार (राज.) श्रीगंगानगर को आदेश की प्रति पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 21.11.2024 को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.12.04 17:41:07 IST
Reason: SelfAttested

स्वाति गुप्ता
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक,
श्रीगंगानगर